न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर

पीठासीन अधिकारीः बलवन्तसिंह लिग्री आर.ए.एस

राजस्व वादपत्र सं0	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
66/2012	12.04.2012	29.1.16

उनवान

1. चेतराम पुत्र मोल्हड जाति जाट निवासी ग्राम जखोपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।

:—वादी

बनाम

1. खूबराम पुत्र ढुरिया
2. रतीराम पुत्र ढुरिया (फौत)

2/1 धनपत बेवा ढुरिया

2/2 लीलाराम पुत्र रतिराम

3. रामकंवार पुत्र ढुरिया
4. धर्मपाल दत्तक पुत्र नन्दराम
5. कबूलसिह
6. रतिराम पुत्र धनीराम
7. छेलूराम पुत्र जीवनराम
8. सत्यवीर
9. महावीर
10. शेरसिंह
11. समसु पुत्रान रामशरण
12. फूली पत्नी रामशरण
13. बिल्लो पुत्री रामशरण
14. राजपाल दत्तक पुत्र कृष्णा पुत्री मीरसिंह
15. धर्मपाल
16. महिपाल पुत्रान बीरबल
17. सूरजपाल पुत्र बीरबल
18. विक्रम
19. सुभाष पुत्रान महीपाल
20. बस्तीराम पुत्र छोटु
21. धर्मवीरसिहं पुत्र बल्लू

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

दिनाक ...

Scanned by CamScanner

22. बबली पुत्री बल्लू
23. सिंगराम
24. महेन्द्र
25. होशयार
26. अभयसिंह पुत्रान सुल्तान
27. सूरजी बेवा सुल्तान
28. बोदन
29. रणधीर
30. चरणसिंह पुत्रान देशाराम
31. प्रभू पुत्र हरफूल
32. पलटुराम
33. दयाराम
34. मुन्शीराम
35. सोहनलाल पुत्रान श्रीया
36. इमरती बेवा श्रीया
37. लिक्ष्मी
38. गीता पुत्रीयान श्रीया जाति जाटान निवासीयान जकोपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।

:— प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक मय दुरुस्ती इन्द्राज वो
हुक्मइम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः—
1. श्रीसमयसिंह यादव अधिवक्ता वादी।

निर्णय वादी द्वारा एक वाद दावा इश्तकरारहक मय दुरुस्ती इन्द्राज वो हुक्मइम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस न्यायालय में पेश किया कि विवादित आराजीयात साबिक 102 रकबा 11.03 बीघा वाके मौजा जकोपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर में स्थित है जिसके हाल ख0 न0 348 रकबा 0—16 बिस्वा, 349 रकबा 1—06 बिस्वा, 349/686 रकबा 0—18 बिस्वा, 350 रकबा 0—10 बिस्वा, 351 रकबा 0—14 बिस्वा, 352 रकबा 0—11 बिस्वा, 353 रकबा

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

0–18 बिस्वा, 354 रकबा 1–03 बिस्वा, 355 रकबा 1–06 बिस्वा वाके मोजा जकोपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 में बने है। उक्त वाद में खसरा न0 हाल 384, 349, 349/686, 350, 351, 352, 353, 355, विवादित आराजी के नाम से जानी जावेगी। वास्ते मुलाहिजा नकल जमाबंदी सम्वत 2011–20112 एंव हाल जमाबंदी सं0 2067 से 2070 लफे हाजा है। उपरोक्त विवादित आराजी गत ख0 सं0 102 रकबा 11–03 बिस्वा वादी के पिता मोल्हड वो प्रतिवादीगन के पिता दादा देशा वो सुलतान की खुद काश्त खातेदारी कब्जा काश्त की आराजी थी। जिसका अंकन जमाबंदी गत सम्वत 2012 में हो रहा है। विवादित आराजीयात में से ख0 सं0 354 रकबा 1–03 बिस्वा का अंकन ताहाल जमाबंदी में वादी के नाम से आ गया तथा बाकी खसरा न0 का अंकन राजस्व कर्मचारीयान व अधिकारियान की गलती से प्रतिवादीगन के नाम आया है। जबकि गत ख0 नं0 में वादी के पिता वो प्रतिवादीगन के पिता दादा का बहिस्सा बराबर 1/3, 1/3, 1/3 दर्ज हैं । विवादित आराजी हाल ख0 सं0 348, 349, 349/686, 350, 351, 352, 353, 355 को वादी वो उसके पिता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने से पूर्व ही शान्तिपूर्वक काबिज वो दखिल होकर काश्त करते चले आ रहे है। मिन वादी ही अपने पिता के जीवनकाल से विवादित आराजी पर काबिज वो दखिल होकर काश्त चला आ रहा है प्रतिवादीगन गैर काबिज वो गैर वास्तां आराजी है। जिनका विवादित आराजी से ना तो कभी कोई सम्बन्ध सरोकार था और ना ही अब है। मिन वादी को विवादित आराजीयात के कागजात की माह जून सन 2011 में आवश्यकता पडी तो मिन वादी ने पटवारी हल्का से सम्पर्क किया। पटवारी हल्का द्वारा कागजात जमाबंदीयात आदि देखने के बाद मिन वादी से कहा कि तुम्हारे नाम का खातेदारी का अंकन नही है। बल्कि प्रतिवादीगन के नाम का खातेदारी का अंकन हो रहा है। इसके बाद मेन वादी ने कागजात जमाबंदी आदि दुरूस्त कराने हेतु प्रतिवादीगन से कहा तो आज कल कह कर टाल बाल कर गये। काफी दबाव देने पर अब दिनांक 20/02/2012 को प्रतिवादीगन ने साफ तौर पर विवादित आराजी में जो उनके नाम का खातेदारी का अंकन आ हा है को दुरूस्त कराने से साफ इनकार कर दिया तथा विवादित आराजीयात से जबरन दखल कर कब्जा करने की धमकी दी। विवादित आराजीयात पर मिन वादी अपने पिता के जीवनकाल से ही यानि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने से पूर्व ही शान्तिपूर्वक काबिज वो दखिल होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। वादी का विवादित आराजी पर जायद आज 20 साल से भी अधिक समय से पुराना कब्जा काश्त चला आ रहा है। विवादित आराजी गत ख0 सं0 102 का रकबा 11–03 बिस्वा में से नये ख0 नं0 348, 349, 349/686, 350, 351, 352,,353, 355 का कुल रकबा 8–02 बिस्वा बनता है में से वादी का 1/3 हिस्सा की आराजी रकबा 2–14 बिस्वा आती है। हाल राजस्व रिकोर्ड में ख0 सं0 354 रकबा 1–03 बिस्वा तो वादी के नाम खातेदारी आ गई, बाकी नम्बरान की प्रतिवादीगन के नाम खातेदारी आ गई। इसलिए अब वादी का विवादित आराजी में रकबा 1–11 बिस्वा बाकी और रह गया

Scanned by CamScanner

है। ख0 सं0 354 को छोड कर बाकी ख0 सं0 में से रकबा 1–11 बिस्वा का वादी खातेदारी काश्तकार घोषित करार दिया जाकर जो प्रतिवादीगन के नाम का अंकन आ रहा है उसको कलमजन किया जाकर वादी के नाम का ख0 सं0 हाल 348, 349, 349/686, 350, 351, 352, 353, 355 में से रकबा 1–11 बिस्वा का अंकन खातेदारी का अमल दरामद कराने का अधिकारी है। अतः दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती वो इन्द्राज पेश करना लाजिम आया है। दिनांक 20.02.2012 को प्रतिवादीगन ने विवादित आराजीयात को दुरूस्त करा कर वादी के नाम का अंकन कराने से स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया है तथा विवादित आराजी को दीगर जगह बेचान करने, कब्जा काश्त वादी में मजामहत आदि पैदा करने की धमकी दी है। यदि प्रतिवादीगन अपने बेजा फेल में कामयाब हो गये तो मिन वादी को अपने अधिकारो से वंचित होना पडेगा, सुविधा का सन्तुलन वो नापूर्ति होने वाली क्षति बहक वादी है। वादी के अधिकार कानून द्वारा रक्षित है। अतः अपने अधिकारो की सुरक्षा हेतु वादी प्रतिवादीगन को जर्ये हुक्मईम्तनाई दवामी की आज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है। अतः दावा हुक्मईम्तनाई दवामी पेश करना लाजिम आया है। दिनांक 20.02.02012 को प्रतिवादीगन ने विवादित आराजीयात को दुरूस्त कराने से इन्कार कर दिया तथा विवादित आराजी को बिना दुरूस्त कराये दीगर जगह बेचान करने वो कब्जा काश्त वादी में मजामहत पैदा करने की धमकी दी है कि वो तारीख दावा हाजा के लिए बिनायदावी वो बिनायमुखास्मत पैदा होकर दावा हाजा मामूलन अन्दर मियाद पेश किया है। अतः प्रार्थना है कि वादी वादी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगन अः डिक्री इजराय इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज वो हुक्मईम्तनाई दवामी इस कदर पारित की जावे कि गत ख0 सं0 102 रकबा 11–02 बीघा वाके ग्राम जकोपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर में से हाल 348/0–16, 349/1–06, 349/686/0–18, 350/0–10, 351/0–14, 352/0–11, 353/0–18, 354/1–03, 355/1–06 में 1/3 हिस्से का मालिक करार दिया जावे तथा राजस्व रिकोर्ड में जो प्रतिवादीगन के नाम का अंकन हो रहा है रकबा 1–5 बिस्वा तक कलमजन किया जाकर वादी के नाम का बाद दुरूस्ती राजस्व रिकोर्ड ताहाल जमाबंदीयात वादी के नाम का अकन किया जावे। ब– डिक्री हुक्मईम्तनाई दवामी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगन इस कदर पारित की जावे कि विवादित आराजीयात उक्त के कब्जा काश्त उपयोग – उपभोग आराजी वादी में प्रतिवादीगन मजामहत मदालखत पैदा ना करे रहनबय आदि से मुन्तकिल ना करे राजस्व रिकोर्ड एवं मौका की यथास्थिति कायम रखे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगन को जर्ये नोटिस सुनवाई का समुचित मौका दिया गया।

प्रति0 2, 3 से 20, 22 से 27, 30, 31, 34, से 38 की तामील होनें के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं। इनकी एक पक्षीय कार्यवाही की गई। शेष प्रतिवादी

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

द्वारा इकबाल दावा पेश किया तथा पैरोकार सरकार ने राज्यहित नहीं होना जवाब में अंकन किया।

वादी द्वारा साक्ष्य वादी पी0 डब्ल्यू –1 चेतराम, पी0 डब्ल्यू –2 मोहनराम, पी0 डब्ल्यू 3 पल्दुराम, पी0 डब्ल्यू –4 खूबराम के शपथपत्र पेश किये। पी0 डब्ल्यू –1 द्वारा पी0 –1 द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श 1 नकल जमाबंदी सम्वत 2067–2070, प्रदर्श पी – 2 नकल जमाबंदी 2063–2066, प्रदर्श पी0 –3 ख0 गि0 2011 से 2014, प्रदर्श पी0 –4 नकल जमाबंदी सम्वत 2011 प्रदर्श पी0 –5 नकल मिलान क्षेत्रफल पेश किये गये।

वादी वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गयी ।

वादी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुऐ कहा कि साबिक के अनुसार रकबा 1–11 बीघा वाके ग्राम जकोपुर ख0नं0 348, 349, 349/686, 350, 351, 352, 353, 355 में प्रतिवादीगन का नाम हजफ कर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जर्ये हुक्मइम्तनाई दवामी से पाबन्द करने का निवेदन किया।

वादी वकील की बहस पर मनन किया गया तथा वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, साक्ष्य एंव इकबाल जवाब पर गौर किया गया। साबिक रिकोर्ड जमाबंदी सं0 2012 में साबिक ख0 नं0 102 रकबा 11–03 बीघा पर वादी के पिता मोल्हड़ व प्रति0 के पूर्वज देशा व सुल्तान बहिस्से बरावर 1/3, 1/3, 1/3, खुद काश्त दर्ज है। साबिक रिकोर्ड के अनुसार वादी के पिता का 1/3 हिस्सा साबित है। नये नम्बर बनाते समय राजस्व कार्मचारी द्वारा वादी के खाते में मात्र साबिक ख0 नं0 102 से निर्मित हाल ख0 न0 354 रकबा 1–03 बिस्वा भूमि दर्ज की गई है। साबिक ख0 नं0 102 के शेष निर्मित हाल ख0 नं0 348, 349, 349/686, 350, 351, 352, 353, 355 में केवल प्रतिवादीगण के ही नाम का अंकन आया। किसी नम्बर पर सम्पूर्ण एक काश्तकार को खातेदार दर्ज किया, किसी नम्बर पर कई काश्तकारों को शामिल कर खातेदार दर्ज किया गया। जो विधिनुकूल नहीं किया। नाही ऐसा करने का उनको कोई अधिकार था। इस प्रकार वादी के हिस्सा की आराजी का 1/3 हिस्सा दर्ज नहीं हुआ। वाद पत्र में दर्ज नये नम्बरान के अनुसार शेष 1–11 बिस्वा भूमि वादी की खातेदारी दर्ज नही की गई जिसका वादी को प्रत्येक नये ख0नं0 में से 1/3 हिस्सा की खातेदारी प्राप्त करने का पूरा हक व हकूक है। वाद में दर्ज साबित ख0नं0 102 से बने नये ख0नं0 348, 349, 349/686, 350, 351, 352, 353, 355 पर व ख0नं0 354 पर भी वादीगण व प्रतिवादीगण के 1/3–1/3 हिस्से का इन्द्राज दुरुस्त किया जाना उचित होगा।

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

आदेश

वादी का वाद इस प्रकार डिक्री किया जाता है। 1:—वादी को विवादित आराजी ख0नं0 348, 349, 349/686, 350, 351, 352, 353, 355 वाके मौजा जकोपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर पर 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त अराजियात ख0नं0 348, 349, 349/686, 350, 351, 352, 353, 355 में वादी के 1/3 हिस्से तक प्रतिवादीगण का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। ख0नं0 354 में से वादी का नाम कलमजन किया जाकर इस ख0नं0 पर देशा व सुलतान के वारिसान प्रतिवादीगण को 2/3 भाग का व वादी को 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। :—प्रतिवादीगण को जर्ये हुक्मईम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित आराजीयात उक्त के कब्जा काश्त उपयोग — उपभोग आराजी वादी में प्रतिवादीगन मजामहत मदालखत पैदा ना करे रहनबय आदि से मुन्तकिल ना करे राजस्व रिकोर्ड एवं मौका की यथास्थिति कायम रखे। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल किया जावे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.1.16 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बलवन्त सिंह लिम्बा)
उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर

पीठासीन अधिकारीः बलवन्तसिंह लिग्री आर.ए.एस

राजस्व वादपत्र सं0	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
66 / 2012	12.04.2012	24.1.2016

उनवान

1. चेतराम पुत्र मोल्हड जाति जाट निवासी ग्राम जखोपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।

:—वादी

बनाम

1. खूबराम पुत्र ढुरिया
2. रतीराम पुत्र ढुरिया (फौत)

2/1 धनपत बेवा ढुरिया

2/2 लीलाराम पुत्र रतिराम

3. रामकंवार पुत्र ढुरिया
4. धर्मपाल दत्तक पुत्र नन्दराम
5. कबूलसिह
6. रतिराम पुत्र धनीराम
7. छेलूराम पुत्र जीवनराम
8. सत्यवीर
9. महावीर
10. शेरसिंह
11. समसु पुत्रान रामशरण
12. फूली पत्नी रामशरण
13. बिल्लो पुत्री रामशरण
14. राजपाल दत्तक पुत्र कृष्णा पुत्री मीरसिंह
15. धर्मपाल
16. महिपाल पुत्रान बीरबल
17. सूरजपाल पुत्र बीरबल
18. विक्रम
19. सुभाष पुत्रान महीपाल
20. वस्तीराम पुत्र छोटु
21. धर्मवीरसिहं पुत्र बल्लू
22. बबली पुत्री बल्लू
23. सिंगराम
24. महेन्द्र
25. होशयार
26. अभयसिंह पुत्रान सुल्तान
27. सूरजी बेवा सुल्तान
28. वोदन
29. रणधीर

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम

दिनाक

Scanned by CamScanner

10. चरणसिंह पुत्रान देशाराम
11. प्रभू पुत्र हरफूल
12. पलटुराम
13. दयाराम
14. मुन्शीराम
15. सोहनलाल पुत्रान श्रीया
16. इमरती बेवा श्रीया
17. लिक्ष्मी
18. गीता पुत्रीयान श्रीया जाति जाटान निवासीयान जकोपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।

:— प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक मय दुरुस्ती इन्द्राज वो
हुक्मइम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः—
. श्रीसमयसिंह यादव अधिवक्ता वादी।

आदेश

वादी का वाद इस प्रकार डिक्री किया जाता है। 1:—वादी को विवादित आराजी ख0नं0 348, 349, 349/686, 350, 351, 352, 353, 355 वाके मौजा जकोपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर पर 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त अराजियात ख0नं0 348, 349, 349/686, 350, 351, 352, 353, 355 वादी के 1/3 हिस्से तक प्रतिवादीगण का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते । ख0नं0 354 में से वादी का नाम कलमजन किया जाकर इस ख0नं0 पर देशा व सुलतान के वारिसान प्रतिवादीगण को 2/3 भाग का व वादी को 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। :—प्रतिवादीगण को जर्ये हुक्मईम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित आराजीयात उक्त के कब्जा काश्त उपयोग – उपभोग आराजी वादी में प्रतिवादीगन मजामहत मदालखत पैदा ना करे रहनबय आदि से मुन्तकिल ना करे राजस्व रिकोर्ड एवं मौका की यथास्थिति कायम रखे। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल किया जावे। त्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 29.1.16 को मेरे हस्ताक्षर व मुहर न्यायालय से जारी की जाती है।

(बलवन्त सिंह लिखी)
उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर) राज०

8

Scanned by CamScanner